संख्या-6/2018/149/दो-4-2018-45(12)/91टी0सी0

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 03 अप्रैल, 2018**

विषय- रिट याचिका संख्या-1496 (एस.बी.)/2015, संजय शंकर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य से सम्बद्ध 03 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-05-2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-03-2002 के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को शासन के आदेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 13 मई, 2009 तथा सपठित शासनादेश संख्या-1705/दो-4-2011-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 03-01-2012 द्वारा मा0 शेट्टी आयोग की संस्तुति को दिनांक 21-03-2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियॉ प्रदान की गयी थीं।

2- इसी प्रकार रिट याचिका संख्या-सी-19/2012 भरत कुमार शान्तिलाल ठक्कर बनाम गुजरात राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01-04-2014 के क्रम में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 15-11-2014 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक 21-03-2002 के पूर्व चयनित एवं चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एलएल0एम0) धारित करने वाले उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अधिकारियों को भी शासन के आदेश संख्या-2/2015/355/दो-4-2015-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 27-03-2015 द्वारा 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया था।

3- विषयगत रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-05-2017 में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये ऑब्जर्वेशन्स के अनुसार मामले मे सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 23 मई, 2009 एवं शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2015 में किए गए प्राविधान के अनुरूप, ऐसे न्यायिक अधिकारियों, जो सेवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में आने के उपरान्त एलएल0एम0 की उपाधि प्राप्त करते हैं, उन्हें एलएल0एम0 की उपाधि प्राप्त करने के दिनांक अथवा शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, 03 अग्रिम वेतनवृद्धियां स्वीकृत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-वे0आ0-2-136/दस-2018, दिनांक 28-03-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-6/2018/149(1)/दो-4-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकर, ऑडिट, प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
(7) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
(8) समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ0प्र0
(9) समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0
(10) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, 2 व 3, उ0प्र0 सचिवालय।
(11) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5/ वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2, उ0प्र0 सचिवालय।
(12) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ0प्र0 सचिवालय।
(13) समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिता श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।